

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड,  
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 793/2016 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 13.12.2016

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

#### बनाम

- 1—बड़डू ढीमर पुत्र पहलवान ढीमर उम्र 30 वर्ष
- 2—रवि ढीमर पुत्र रामसिया ढीमर
- 3—पहलवान ढीमर पुत्र टिल्लूराम उम्र 62 साल
- 4—छोटे पुत्र पहलवान ढीमर उम्र 25 साल निवासीगण  
ग्राम रजपुरा थाना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियुक्तगण

( आरोप अंतर्गत धारा-294, 324/34(तीन शीर्ष), 506 भाग दो भा0दं0सं0 )

( राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार )

( आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री विकास कांकर )

#### निर्णय

( आज दिनांक 09-08-2017 को घोषित )

आरोपीगण पर दिनांक 02.11.16 को आठ बजे फरियादी लल्लूराम के मकान के सामने में ग्राम रजपुरा गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी लल्लूराम को माँ बहन की अश्लील गालियाँ देकर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित करने, फरियादी लल्लूराम को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं उसी समय सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी लल्लूराम एवं आहत छुन्ना की आक्रमक धारदार आयुध कुल्हाडी से एवं आहत भोपाली की आक्रमक आयुध लाठी से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित करने एवं सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी लल्लूराम की मारपीट कर उसे अस्थिभंग कारित कर उसे स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित करने हेतु आरोपी बड़डू ढीमर पर भा0द0स0 की धारा 294, 506 भाग 2, 324 दो शीर्ष, 324/24 एवं 325/34 तथा आरोपी पहलवान ढीमर पर भा द स. की धारा 294, 506 भाग 2, 324/34 दो शीर्ष, 324 एवं 325/34 तथा आरोपी छोटे ढीमर एवं रवि ढीमर पर भा द स. की धारा 294, 506 भाग 2 324/34 तीन शीर्ष एवं 325 के अतर्गत

आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 02.11.16 को सुबह करीबन आठ बजे फरियादी लल्लूराम एवं आहत भोपाली तथा छुन्ना अपने दरवाजे पर बैठे थे उसी समय पहलवान ढीमर आया था। भोपाली ने पहलवान से कहा था कि तुम शराब क्यों बेचते हो, इसी बात पर पहलवान उसे व भोपाली को माँ बहन की गन्दी गन्दी गालियाँ देने लगा था। भोपाली ने आरोपीगण को गालियाँ देने से मना किया था तो पहलवान ने भोपाली के लाठी मारी थी। बड़डू ढीमर ने उसके एवं छुन्ना के सर में कुल्हाड़ी मारी थी। रवि एवं छोटा भी आ गये थे। रवि एवं छोटे ने उसकी लात घूसो से मारपीट की थी। मौके पर मिश्रीलाल एवं पप्पू ढीमर ने बीचबचाव किया था। आरोपीगण ने जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद में अप0क्र0 322/16 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान द टनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे, आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

4. प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि विचारण के दौरान फरियादी लल्लूराम एवं आहत भोपाली तथा छुन्ना द्वारा आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी रवि एवं छोटे ढीमर को पूर्व में ही भा द स. की धारा 294, 506 भाग 2 एवं 325 तथा आरोपी पहलवान ढीमर एवं बड़डू ढीमर को भा0द0स0 की धारा 294, 506 भाग दो एवं 325/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी बड़डू ढीमर के विरुद्ध भा द स. की धारा 324 दो शीर्ष एवं 324/34, आरोपी पहलवान के विरुद्ध भा द स. की धारा 324 एवं 324/34 दो शीर्ष तथा आरोपी छोटे एवं रवि के विरुद्ध भा द स. की धारा 324/34 तीन शीर्ष के अंतर्गत विचारण शेष है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ हैं:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 02.11.16 को आठ बजे फरियादी लल्लूराम के मकान के सामने ग्राम रजपुरा गोहद में सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी लल्लूराम एवं आहत छुन्ना की आक्रमक धारदार आयुध कुल्हाड़ी तथा आहत भोपाली की आक्रमक आयुध लाठी से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की?

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी लल्लूराम अ0सा01 एवं आहत भोपाली अ.सा. 02 तथा छुन्ना अ.सा. 03 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण  
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी लल्लूराम अ.सा. 01 ने

न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग आठ नौ महीने पहले सुबह आठ नौ बजे की है वह भोपाली एवं छुन्ना के साथ दरवाजे पर बैठा था तभी आरोपीगण आये थे। आरोपीगण से उसका मुंहवाद हो गया था। आरोपीगण ने गाली गलौच कर दी थी। अन्य कोई बात नहीं हुयी थी। उसने इसी बात की रिपोर्ट थाना गोहद में की थी जो प्र.पी 01 है जिस पर उसने अपना निशानी अंगूठा लगाया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इन्कार किया है कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने उसकी, छुन्ना की एवं भोपाली की लाठी कुल्हाड़ी से मारपीट की थी। उक्त साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसने आरोपीगण द्वारा मारपीट करने वाली बात अपनी रिपोर्ट प्र पी 01 एवं पुलिस कथन प्र पी 02 में पुलिस को लिखायी थी।

8. आहत भोपाली अ.सा. 02 एवं छुन्ना अ.सा. 03 ने भी अपने कथन में आरोपीगण से मात्र मुंहवाद होना एवं आरोपीगण द्वारा गाली गलौच करना बताया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों ही साक्षीगण ने अभियोजन के इस सुझाव से इन्कार किया है कि झगड़े के दौरान आरोपीगण ने उनकी मारपीट की थी एवं इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि पहलवान ने उनके लाठी मारी थी तथा रवि तथा बड्डू ने कुल्हाड़ी से उनकी मारपीट की थी।

9. इस प्रकार फरियादी लल्लूराम अ.सा. 01 एवं आहत भोपाली अ.सा. 02 एवं छुन्ना अ.सा. 03 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपीगण द्वारा मारपीट करने से इन्कार किया है। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त सभी साक्षीगण ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपीगण द्वारा मारपीट करने से इन्कार किया है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर पेश नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपीगण ने घटना दिनांक को फरियादी लल्लूराम एवं आहत भोपाली तथा छुन्ना की आक्रमक धारदार आयुध कुल्हाड़ी एवं लाठी से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

10. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपीगण के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे यदि अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपीगण की दोषमुक्ति उचित है।

11. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 02.11.16 को आठ बजे फरियादी लल्लूराम के मकान के सामने ग्राम रजपुरा गोहद में सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी लल्लूराम एवं आहत छुन्ना की आक्रमक धारदार आयुध कुल्हाड़ी से तथा आहत भोपाली की आक्रमक आयुध लाठी से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी बड्डू को भा द स की धारा 324 दो शीर्ष एवं [324/34](#) तथा आरोपी पहलवान ढीमर को भा द स. की धारा 324 एवं [324/34](#) दो शीर्ष एवं आरोपी छोटे तथा रवि ढीमर को भा द स. की धारा [324/34](#) तीन

शीर्ष के आरोप से दोषमुक्त करती है।

12. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

13. प्रकरण में जप्तशुदा लाठी एवं कुल्हाड़ी अपील अवधि पश्चात मूल्यहीन होने से तोड़ तोड़ कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान—गोहद

दिनांक :—09.08.17

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)